दैनिक भास्कर

सोमवार, 01 अक्टूबर, 2018

रेरा ने बढ़ाई तारीख

31 अक्टूबर तक हो सकेगा पुराने प्रोजेक्ट का निबंधन

सिटी रिपोर्टर | पटना

रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने पुराने प्रोजेक्ट के निबंधन की आखिरी तारीख एक महीने और बढ़ा दी है।

अब बिल्डर और प्रमोटर अपने पुरानी परियोजनाओं का निबंधन 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे।रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि एक हजार वर्गमीटर से कम की परियोजनाओं के निबंधन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इससे ज्यादा की परियोजनाओं के निबंधन के लिए पांच लाख रुपए या निबंधन शुल्क का पांच गुणा इसमें जो ज्यादा होगा, वह देना होगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निबंधन के वक्त रेरा में नंबर की अनिवार्य कर दिया है। रेरा में निबंधन नहीं होने के कारण रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की प्रोपर्टी के निबंधन में आ रही दिक्कत को देखते हुए निबंधन की तारीख एक महीने के लिए बढ़ाई गई है।